न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—48 सन् 2020

आसमा खातुन वगै0..........................वादीगण।

बनाम

मो0 युसुफ अंसारी वगैरह............................प्रतिवादीगण।

दिनांक—26.09.2024

वादीगण की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 09.07.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 01 मो0 युसुफ अंसारी थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 20.01.2024 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 01 का नाम कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान की जाए।

वादी की ओर से धारा—5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के वारिसान के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 मो0 युसुफ अंसारी थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 20.01.2024 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर चुका है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक—09.07.2024 को 500/—रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत बिहार सरकार के पक्ष में जमा करें। वाद दिनांक...................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय

सोनपुर, सारण।